भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. †*361

सोमवार, 27 मार्च, 2023/6 चैत्र, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

ग्रामीण पर्यटन संकुलों तथा पार्कों की स्थापना

†*361. श्री विजय कुमार दुबेः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में बड़े पैमाने पर पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण पर्यटन संकुलों और पर्यटन पार्कों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित ऐसे संकुलों और पार्कों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

ग्रामीण पर्यटन संकुलों तथा पार्कों की स्थापना के संबंध में दिनांक 27.03.2023 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. †*361 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

(क) से (ग) : पर्यटन मंत्रालय ने ''भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति और रोडमैप – आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल'' तैयार किया है । इस कार्यनीतिक दस्तावेज में अन्य के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश में ग्रामीण पर्यटन हेतु गांवों के समूहों की पहचान किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण परिपथ को अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत विभिन्न थीमेटिक परिपथों में से एक के रूप में चिह्नित किया है । इस योजना के ग्रामीण परिपथ थीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) कार्यान्वयनाधीन ग्रामीण विकास योजनाओं में से एक है । एसपीएमआरएम की शुरूआत दिनांक 21 फरवरी 2016 को आर्थिक, सामाजिक और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करके चुने गए ग्रामीण इलाकों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से स्थायी क्षेत्र समूहों के रूप में विकसित करने और इस प्रकार देश में स्थायी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास करने के उद्देश्य से की गई थी । इस नए मिशन के तहत देश-भर में थीमेटिक आर्थिक विकास बिंदुओं के साथ 300 रर्बन समूहों का विकास किया जा रहा है ।

एसपीएमआरएम के तहत समूहों का विकास अनन्य रूप से पर्यटन समूहों के रूप में नहीं किया जाता है अपितु यह मिशन समूहों के समग्र विकास पर फोकस करता है और विकास का अधिकतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए समूह विकास हेतु वांछनीय 21 घटकों का सुझाव दिया गया है । इन 21 घटकों में पर्यटन संवर्धन एक प्रमुख घटक है । पर्यटन संवर्धन के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतराल वित्तपोषण और समन्वयन के तहत 478.70 करोड़ रु. के कुल निवेश को अनुमोदित किया गया है । इस घटक के तहत बिहार में एक समूह और उत्तर प्रदेश में पांच समूहों में निवेश को अनुमोदित किया गया है । पर्यटन संवर्धन घटक के तहत प्रस्तावित राज्य/समूह-वार निवेश अनुबंध-II में दिया गया है ।

गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी सीमा पर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों के व्यापक

विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम (वीवीपी) को अनुमोदित किया गया है । उन्होंने यह भी सूचित किया है कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा । वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भारत-चीन सीमा से सटे 4 राज्यों और 01 संघ राज्यक्षेत्र में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य में कृषि-ग्रामीण पर्यटन के संवर्धन के लिए पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अवस्थित जिलों में कृषि-ग्रामीण पर्यटन के दृष्टिकोण से उपयुक्त/महत्वपूर्ण गांवों को चिह्नित करते हुए वर्ष 2022-23 में 18 गांवों को चुना है । चिह्नित गांवों की सूची अनुबंध-।।। में दी गई है ।

*****

अनुबंध-I

ग्रामीण पर्यटन संकुलों तथा पार्कों की स्थापना के संबंध में दिनांक 27.03.2023 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. †*361 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना की ग्रामीण परिपथ थीम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(राशि करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1.	बिहार	(2017-18)	गांधी परिपथ का विकासः भितिहरवा - चंद्रहिया - तुरकौलिया	44.27	39.96
2.	केरल	(2018-19)	मलानाड मालाबार क्रूज पर्यटन परियोजना का विकास	57.35	23.77
			कुल	101.62	63.73

*****

अनुबंध-II

ग्रामीण पर्यटन संकुलों तथा पार्कों की स्थापना के संबंध में दिनांक 27.03.2023 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. †*361 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

एसपीएमआरएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार चिह्नित पर्यटन समूह और अनुमोदित निवेश तथा अब तक किया गया व्यय (राशि करोड़ रु. में)				
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	समूह का नाम	कुल निवेश	कुल व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	फेरारगंज	20.79	1.83
2	आंध्र प्रदेश	अरकुवैली	2.80	0.34
3		एलुरु (ग्रामीण)	5.01	0.00
4		रामपछोड़ावरम	1.54	0.00
5	असम	चंद्रपुर रर्बन समूह	2.87	1.62
6		हाजो रर्बन समूह	6.24	1.12
7	बिहार	नौरंगा	26.41	0.00
8	छत्तीसगढ	बडेकनेरा	0.49	0.13
9	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	सायली	0.50	0.00
10	गोवा	ज़ेल्डेम	0.97	0.00
11	गुजरात	बेचारजी	9.76	0.18
12		मातीड	0.01	0.01
13		रावपर	0.40	0.28
14		शामलाजी	9.38	3.77
15		टिकर	8.74	1.73
16	हरियाणा	बादली	0.19	0.00
17		बल्ला	1.22	0.45
18		गणेशपुर	6.05	1.95
19	हिमाचल प्रदेश	औत	3.59	1.04
20		घनहाटी	0.52	0.27
21		हिनर	3.27	1.06

22		मूरंग	13.33	6.41
23		सांगला	1.01	0.45
24		सिहुंता	0.27	0.00
25	जम्मू और कश्मीर	खुमरियाल	11.57	0.48
26	झारखंड	ऐडेगा	0.22	0.22
27		बिचा	0.66	0.00
28		ब्राम्बे	1.69	0.99
29		धरमबहाल	4.41	1.38
30		दुधबिला	1.98	0.37
31		करौंदी	2.68	1.46
32		सारधू	1.90	0.50
33		सियालजोरी	0.90	0.00
34	कर्नाटक	गुरुगुंता	1.00	1.00
35		हरगड्डे	3.65	3.48
36		होलालु	4.50	1.20
37	केरल	एडप्पल वट्टमकुलम समूह	1.29	0.31
38		कांजीकुझी - मरारीकुलम उत्तर	49.11	2.40
39		पिनाराई - वेंगड़ समूह	7.53	1.64
40		पुन्नयूरकुलम वडक्केकक्कड रर्बन समूह	7.57	1.83
41		पुथुकोड-कवासेरी रर्बन समूह	2.22	0.00
42		पुथुपल्ली - मनारकाड समूह	0.22	0.08
43		तानालुर - निरामारुथूर समूह	7.22	5.84
44	लद्दाख	स्पितुक क्लस्टर	6.58	0.63
45	लक्षद्वीप	अमीनी	3.05	0.00
46	मध्य प्रदेश	अछत	0.72	0.00
47		रामनगर	3.15	0.00

48		सिमरोल	0.90	0.00
49	महाराष्ट्र	हरतला	34.26	6.75
50		कन्हौली बाड़ा	1.76	0.00
51		कसातवाड़ी	4.58	0.83
52		खड़कला	3.88	0.03
53		लोनी कालभोर	0.10	0.00
54		निर्गुडे	0.33	0.32
55		पटौंदा	0.80	0.00
56		वेवाजी	0.58	0.00
57		येनगांव	0.70	0.49
58	मणिपुर	खंगाबोक	10.68	10.68
59	मेघालय	चिसीम अपल	0.35	0.10
60		मावलंगवीर	2.58	1.11
61	मिजोरम	ऐबॉक	4.98	4.52
62		पूर्वी लुंगदार	0.63	0.45
63		ख्वाजावल	1.89	1.89
64		थिंग्सुल्थलियाह	0.38	0.38
65	नागालैंड	कोहिमा सदर	2.05	0.00
66	ओडिशा	कोटागढ़	0.80	0.00
67		कुआरमुंडा	1.00	0.00
68		रैबनिया	1.60	0.00
69	पुदुचेरी	बहौर	45.96	7.77
70		थिरूनल्लार	22.50	4.06
71	पंजाब	धंदारा (लुधियाना 1)	3.53	2.34
72		संघोल (फतेहगढ़ साहिब)	8.97	10.46
73	राजस्थान	आबापुरा	1.58	0.88
74		भादर	1.30	0.00
75		भगोरा	0.66	0.25
76		गोगुन्दा	4.28	0.96
77		माजीवाला	1.23	0.63
78		पीलीखेड़ा	0.35	0.25
79		रानीवाड़ा कलाँ	0.45	0.00

80		सलावास	0.43	0.15
81	सिक्किम	नमथांग रर्बन समूह	1.91	1.76
82		सोरेंग समूह	1.60	0.86
83	तमिलनाडु	सिंगारपेरुमल कोविल	0.25	0.25
84	तेलंगाना	बिजीगिरीशरीफ	4.00	1.82
85		चौटुप्पल	0.44	0.39
86		कुंथला	0.35	0.27
87		पार्वतगिरी	11.47	3.74
88		सुल्तानाबाद	1.50	0.18
89		वेन्नाचेरला	4.33	3.35
90		येदापल्ली	3.92	1.97
91	त्रिपुरा	बेलियानचिप	0.25	0.12
92		रोवा	1.79	0.39
93	उत्तर प्रदेश	बांसगांव	1.24	0.59
94		कोडाई	1.00	0.45
95		मऊ मुस्तकील	8.76	2.06
96		मिदाकुर	3.57	3.41
97		श्री नगर	1.13	0.95
98	उत्तराखंड	धनौल्टी	7.61	4.44
99		कौसानी	6.40	2.30
100		पहेनिया	2.00	1.55
कुल योग			478.70	132.61

*****

अनुबंध-III

ग्रामीण पर्यटन संकुलों तथा पार्कों की स्थापना के संबंध में दिनांक 27.03.2023 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. †*361 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण पर्यटन के लिए चिह्नित गाँवों की सूची

क्र .सं.	ज़िला	चिन्हित गांव
1.	आगरा	आँवलखेड़ा
2.	फिरोजाबाद	अकबरपुर
3.	मथुरा	परसौली
4.	अलीगढ़	नयाबांस
5.	वाराणसी	तारापुर
6.	बस्ती	शिवपुर
7.	अयोध्या	नंदीग्राम
8.	बाराबंकी	कोटवा धाम
9.	लखनऊ	काठवाड़ा
10.	लखीमपुर खीरी	चंदन चौकी
11.	गोरखपुर	मालनव
12.	कुशीनगर	पिपराझाम
13.	झांसी	बरुआ सागर
14.	ललितपुर	देवगढ़
15.	चित्रकूट	चार
16.	बांदा	रामनगर एनआईएफएएस
17.	प्रयागराज	देवरा
18.	भदोही	सीतामढ़ी

*****